



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 377]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 1983/भाद्र 7, 1905

No. 377]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 1983/BHADRA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नीतिमंडल सचिवालय

अभिलेखना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1983

का. अा. 626(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के
खंड (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन)
(एक सौ उनसठवां संशोधन) नियम, 1983 है ।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में,—
द्वितीय अनुसूची में,—
(क) शीर्षक "शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय" के नीचे,
उप-शीर्षक "संस्कृति विभाग" के अंतर्गत,
प्रविष्टि 3, 4 और 13 के स्थान पर क्रमशः निम्न-
लिखित प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

"3. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और
अवशेष अधिनियम, 1958 और प्राचीन संस्मारक
परिरक्षण अधिनियम, 1904";

"4. विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को
ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों के उत्खनन
और खोज के लिए अनुदान ।";

"13. निम्नलिखित निधि : पुरावशेष तथा बहुमूल्य कला-
कृति अधिनियम, 1972 तथा पुरावशेषों का
निर्यात ।";

(ख) शीर्षक "ऊर्जा मंत्रालय" के नीचे, उप-शीर्षक "सं.
विद्युत् विभाग" के अंतर्गत, प्रविष्टि 10 के पश्चात्
निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

- "11. (1) राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम ।
(2) राष्ट्रीय जल-विद्युत् शक्ति निगम ।
(3) ग्रामीण-विद्युतीकरण निगम ।
(4) उत्तर-पूर्वी विद्युत् शक्ति निगम ।";

(ग) शीर्षक "श्रम और पुरुषार्थ मंत्रालय" के नीचे,
"क. श्रम विभाग" के अंतर्गत, प्रविष्टि 22 का
लोप किया जाए ।";

(घ) शीर्षक "ग्रामीण विकास मंत्रालय" के अंतर्गत,
प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी
जाए, अर्थात् :—

15. कोआपरेशन विद दि सेंटर फार इंटेग्रेटेड रूरल
डेवेलपमेंट फार एशिया एंड पैसिफिक (सी.
आई. आर. डी. ए. पी.) तथा दि ऐक्रो-

एशियन रूरल रिक्स्ट्रक्शन आर्गनाइजेशन (ए. ए. आर. आर. जो.) से संबंधित सभी मामले ।

(क) शीर्षक "परमाणु ऊर्जा विभाग" के अन्तर्गत प्राविष्ट 10 के पश्चात्, निम्नलिखित प्राविष्टियां रखी जाए, अर्थात् :—

"11. टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान से संबंधित सभी मामले ।

12. साहा न्यूक्लीयर भौतिकी संस्थान से संबंधित सभी मामले ।"

जैल सिंह, राष्ट्रपति

[सं. 74/2/5/83-मंत्रि.]

प्रेम कुमार, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1983

S.O. 626(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Fifty-ninth Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (SHIKSHA AUR SANSKRITI MANTRALAYA)", under sub-heading "B. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)", for entries 3, 4 and 13, the following entries shall be substituted respectively, namely :—

"3. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and Ancient Monuments Preservation Act, 1904";

"4. Grants to Universities and Research Institutions for excavation and explorations of historical and archaeological remains.";

"13. Treasure Trove : Antiquities and Art Treasures Act, 1972 and Export of antiquities.";

(b) under the heading "MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)", under sub-heading "B. DEPARTMENT OF POWER (VIDYUT VIBHAG)", after entry 10, the following entries shall be inserted, namely :—

"11. National Thermal Power Corporation.

(ii) National Hydro-Electric Power Corporation.

(iii) Rural-Electrification Corporation.

(iv) North-Eastern Electric Power Corporation.";

(c) under the heading "MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRAM AUR PUNARWAS MANTRALAYA)", under sub-heading "A. DEPARTMENT OF LABOUR (SHRAM VIBHAG)", entry 22 shall be omitted.";

(d) under the heading "MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)" after entry 14, the following entry shall be inserted, namely :—

"15. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO).

(e) under the heading "DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (PARMANU OORJA VIBHAG)", after entry 10, the following entries shall be inserted, namely :—

"11. All matters relating to the Tata Institute of Fundamental Research.

12. All matters relating to the Saha Institute of Nuclear Physics.".

ZAIL SINGH, President

[No. 74/2/5/83-Cab.]

PREM KUMAR, Addl. Secy.